

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 18.12.2020 को प्रभारी निरीक्षक जन्सा सतीश कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल, क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0सं0 247/2020 धारा-376/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त पिन्टू पटेल पुत्र देवराज निवासी ग्राम भाऊपुर थाना जंसा वाराणसी चौखण्डी क्रासिंग के पास खडा है, कही जाने की फिराक मे है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक जन्सा द्वारा मय हमराह पुलिस बल के चौखण्डी रेलवे क्रासिंग के पास पहुँचकर अभियुक्त पिन्टू पटेल उपरोक्त को समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जन्सा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\*-

- पिन्टू पटेल पुत्र देवराज निवासी ग्राम भाऊपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष।

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*-

- प्रभारी निरीक्षक जन्सा-सतीश कुमार सिंह, हे0का0 कन्हैया राम व का0 सन्दीप कुमार थाना जन्सा, जनपद वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

थाना रोहनिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.12.2020 को अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा चेंकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0417/2020 धारा 354,354क,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रोहनिया वाराणसी के वांछित अभियुक्त मुकेश उर्फ जलाफा पुत्र जीत लाल राम नि0 मड़ाव हरिजन बस्ती थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को समय करीब 10.10 बजे ग्राम मड़ाव हरिजन बस्ती से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

1 - मुकेश उर्फ जलाफा पुत्र जीत लाल राम नि0 मड़ाव हरिजन बस्ती थाना रोहनिया जनपद वाराणसी, उम्र करीब 20 वर्ष

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-\*

1 - प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, उ0नि0 मनोज कुमार, का0 सुरेन्द्र यादव थाना रोहनिया जनपद वाराणसी



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

थाना रोहनिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.12.2020 को अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा चेंकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 527/2020 धारा 147,332,333,353,323,504,506,308 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना रोहनिया वाराणसी के वांछित अभियुक्त मुन्नू यादव पुत्र खिल्धर यादव नि0 रुदौली थाना कोतवाली चुनार जनपद मिर्जापुर, उम्र करीब 26 वर्ष को समय करीब 09.45 बजे बहोरनपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

1 - मुन्नू यादव पुत्र खिल्धर यादव नि0 रुदौली थाना कोतवाली चुनार जनपद मिर्जापुर, उम्र करीब 26 वर्ष

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-\*

प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, उ0नि0 अरुण कुमार यादव, का0 सुनील कुमार सिंह, का0 उपेन्द्र कुमार थाना रोहनिया जनपद वाराणसी



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

थाना सारनाथ पुलिस द्वारा दिनांक 17.12.2020 को जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि थाना सारनाथ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 697/2020 से संबंधित अभियुक्त पवन कुमार अपने साथ में नाबालिग अपृहता को लेकर पुरानापुल शैलपुत्री के पास से भागने के फिराक में है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना सारनाथ पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर मुखबिर के साथ पहुंचकर, मुखबिर की निशानदेही पर अभियुक्त पवन कुमार को समय 16.45 बजे गिरफ्तार कर, अपृहता को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

1. पवन कुमार पुत्र सुभाष चन्द उर्फ अशोक निवासी A 36/2 राजघाट भदरू चुंगी हरिजन बस्ती थाना आदमपुर जनपद वाराणसी उम्र 23 वर्ष

\*गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास\*

मु0अ0सं0 697/2020 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना सारनाथ वाराणसी ।

\*बरामदगी का विवरण\*— नाबालिग अपृहता

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण\*

उ0नि0 संजय कुमार, म0का0 608 किरन यादव थाना सारनाथ वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

थाना आदमपुर पुलिस द्वारा दिनांक 18.12.2020 को देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैय्यदराजा जनपद चंदौली पुलिस की अभिरक्षा से दिनांक 09.08.2020 को थाना आदमपुर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे डाट पुल भदऊ के पास से फरार अभियुक्त धनंजय कुमार जिसके संबंध में थाना आदमपुर में मुअ74 0सं0/223 धारा 20/में 224 पंजीकृत है, प्रहलादघाट से भैसासुरघाट तिराहे की तरफ पैदल जा रहा है, जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर उक्त स्थान पर पहुंचकर मुखबिर की निशानदेही पर वांछित अभियुक्त धनंजय कुमार पुत्र स्वसुदर्शन खरवार 0 निवासी ग्राम बघिनी थाना मोहनिया जिला भभुआ बिहार मूल निवासी ग्राम सुण्डेहरा था (कैमूर)ना भभुआ जिला भभुआ बिहार (कैमूर) को प्रहलादघाट से भैसासुरघाट तिराहे की तरफ जाते हुए रास्ते से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

धनंजय कुमार पुत्र स्व सुदर्शन खरवार निवासी ग्राम 0बघिनी थाना मोहनिया जिला भभुआ बिहार मूल ( कैमूर)  
( कैमूर) निवासी ग्राम सुण्डेहरा थाना भभुआ जिला भभुआ

\*गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग-\*

1. मु0अ0स0 74//2020 धारा 223/ भादवि 224थाना आदमपुर वाराणसी ।
2. मु140 0सं0अ0/60 धारा 2020/63EX.ACT थाना सैय्यदराजा जनपद चंदौली ।

\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण\*

विजय कुमार चौरसिया प्रभारी निरीक्षक , हे0का 0नन्द कुमार सिंह थाना आदमपुर वाराणसी, का0 भीम गौड़ , का0 सुनील यादव थाना आदमपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

\*थाना आदमपुर पुलिस द्वारा दो शातिर चोर विक्की यादव व राम यादव गिरफ्तार,  
कब्जे से चोरी की एक अदद मोटर साइकिल, एक जोड़ी चांदी की पायल, एक अदद  
मोबाइल व नकद 11,700/- रूपये बरामद\*

दिनांक 17.12.2020 को थाना आदमपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के चेकिंग में मछोदरी तिराहे पर मौजूद थी कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि दो शातिर चोर विशेश्वरगंज की तरफ से मछोदरी तिराहा होते हुये मुगलसराय की तरफ चोरी की मोटर साइकिल व अन्य समान के साथ जाने वाले है। उक्त सूचना पर विश्वास कर सतर्कता से चेकिंग प्रारम्भ की गयी तो दो संदिग्ध व्यक्ति एक मोटर साइकिल पर आते हुये दिखाई दिये जो पुलिस वालो को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगे, जिन्हे घेरकर पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम विक्की यादव पुत्र स्वसकून यादव 0 47 निवासी के/कतुआपुरा थाना कोतवाल 309ी व दूसरे ने अपना नाम राम यादव पुत्र स्वरामजी यादव 0 111 निवासी एन/ए रानीपुर महमूरगंज थाना भेलूपुर वाराणसी बताय 15ा जिनके कब्जे से चोरी की एक अदद मोटर साइकिल हीरो पैशन प्रो, एक जोड़ी चांदी की पायल 11 एक अदद मोबाइल व नकद,,700/- रूपये बरामद हुये। अभियुक्तगण उपरोक्त को समय 22.33 बजे गिरफ्तार थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- 1-विक्की यादव पुत्र स्व47 सकून यादव निवासी के 0/ वर्ष 24 कतुआपुरा थाना कोतवाली उम्र 309
2. राम यादव पुत्र स्व11 रामजी यादव निवासी एन 0/1/ ए रानीपुर महमूरगंज थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र 155 23 वर्ष ।

\*बरामदगी का विवरण\*

1. चोरी की एक अदद मोटर साइकिल हीरो पैशन प्रो ,
2. एक जोड़ी चांदी की पायल
3. एक अदद मोबाइल
4. नकद 11,700/- रूपये ।

\*गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग-\*

- 1.मु0अ0स0 130/411 सीआरपीसी व 41 धारा 2020/413/भादवि थाना आदमपुर वाराणसी । 414

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण\***

1. उराजकुमार प्रभारी चौकी मछोदरी 0नि0, उसंतोष तिवारी चौकी प्रभारी लाटभैरव 0नि0, हेअनिल 0का0 कुमार सिंह, कासंजय कुमार 0, का0 राजेन्द्र राव थाना आदमपुर वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

दिनांक -17.12.2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय जवाहर नगर (.ओ.एम.पी) एक्सटेंशन थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी को विक्रय किये जाने के संबंध में एक विज्ञापन OLX पर पोस्ट किये जाने कि सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना भेलूपुर में मु-सं.अ.646/2020 धारा- 419, 420,467, 468,472, भादवि 500पंजीकृत कराया गया। इसके उपरांत OLX से सम्पर्क कर प्रकरण से अवगत कराते हुए उक्त विज्ञापन को OLX से हटवाया गया। सर्विलांस सेलसाइबर सेल के माध्यम / से उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तलक्ष्मीकांत ओझा पुत्र सुरेन्द्र नाथ ओझा निवासी दशमी रामलीला मैदान के सामने थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र-46 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद किया गया अभियुक्त लक्ष्मीकांत ओझा की निशानदेही पर घटना में संलिप्त तीन अन्य व्यक्तियों मनोज यादव, बाबू लाल पटेल व जितेन्द्र कुमार वर्मा का भी नाम प्रकाश में आया ,जिन्हे गिरफ्तार कर थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

1. लक्ष्मीकांत ओझा पुत्र सुरेन्द्र नाथ ओझा निवासी दशमी रामलीला मैदान के सामने थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र-46 वर्ष
2. मनोज यादव पुत्र जियन यादव निवासी कृष्णदेव नगर कालोनी सरायनंदन खोजवाँ थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र वर्ष 39।
3. बाबू लाल पटेल पुत्र स्वकाशीनाथ पटेल निवासी कृष्णदेव नगर कालोनी सरायनंदन . खोजवाँ थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी, उम्र वर्ष 38।
4. जितेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र स्व-शंकर प्रसाद वर्मा निवासी बी .26/210-2 गुरुधाम कालोनी नवाबगंज दुर्गाकुण्ड थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र वर्ष 51।

\*बरामदगी:\* - OLX पर विज्ञापन पोस्ट करने में प्रयुक्त मोबाइल ।

**\*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-\***

अमित कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक, वसुधीर कुमार त्रिपाठी.नि.उ., उरवि कुमार यादव .नि.  
चौकी प्रभारी खोजवाँ, उदीपक कुमार चौकी प्रभारी अस्सी .नि., उप्रकाश सिंह चौकी .नि.  
प्रभारी दुर्गाकुण्ड, उ 0नि0गौरव उपाध्याय, काचन्दन कुमार 0, का 0आलोक, का 0सौरभ  
कुमार, कासूर्यनाथ यादव 0, कानीरज यादव 0, रामनारायण सिंह, काहरेन्द्र कुमार गुप्ता .,  
का गोकुल प्रसाद थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी 0

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 18.12.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 60 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 1845 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 406 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 50 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 150 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया व मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 51 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड 19-महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 18-12-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए\* 3 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व कुल 28 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये \*कुल 65 व्यक्तियों से रु0-1500 जुर्माना\* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 928 वाहनों का चालान, 03 वाहनों को सीज तथा 158 वाहनों से रु- 1,42,300/-समन शुल्क वसूल\* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।